



2026:AHC:17762

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2935, वर्ष 2025

राजवीर सिंह यादव
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	शिव कुमार, विवेक सिंह
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता :	सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम आनंद, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री हरि नारायण सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे अवैध अतिक्रमण को हटा दें, जैसा कि सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, औरैया द्वारा दिनांक 27.5.2025 को पारित आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) में निर्देशित किया गया है।"
(ii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे अवैध अतिक्रमण को हटाएँ और ग्राम बैसुंधरा, तहसील औरैया, जिला औरैया में स्थित भूखंड संख्या 448, 448Mi में स्थित 'खाद के गड्ढे' (आरक्षित भूमि) को उसकी मूल स्थिति में बहाल करें।"
3. दिनांक 5.1.2026 को, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-
"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत याचिका दायर किए जाने के पश्चात्, तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली और हर्जाने का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदेश, कलेक्टर द्वारा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के अंतर्गत अपील में निरस्त कर दिया गया है।”

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत अपील में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को संलग्न करते हुए एक पूरक शपथ-पत्र दाखिल करें।

3. इस मामले को 27.01.2026 को नए मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

4. इस न्यायालय के दिनांक 5.1.2026 के आदेश के अनुपालन में, कोई भी पूरक शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. चूंकि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली और हर्जाने का आदेश अपील में रद्द कर दिया गया है, इसलिए इस जनहित याचिका में की गई प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता।

6. इस जनहित याचिका के माध्यम से किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. तदनुसार, यह जनहित याचिका खारिज की जाती है।

27 जनवरी 2026

पीएस

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)